संख्या– 4718 /9–1–12– 30 टी/2008

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डयायुक्त,उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
3– निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।
4– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम,उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनॉक 8/11 ~~अक्टूबर~~, 2012

विषय :नागर निकायों में सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिको, (जिसमे सफाई कर्मचारी भी सम्मिलित) के पारिश्रमिक/वेतन का भुगतान चेक से किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–464(1)/9–1–08–137 सा/07 टीसी, दिनांक 12 मार्च 2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमे नागर निकायों में कार्यरत संविदा/नियमित समस्त सफाई कर्मचारियों के राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाकर उनके वेतन का भुगतान चेक के माध्यम से करने तथा परिचय पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कि सेवाप्रदाता (Out Sourcing) के माध्यम से नागर निकायो में कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिको के वेतन का भुगतान चेक/बैंक के माध्यम से न कराकर नागर निकायों द्वारा या सेवाप्रदाता द्वारा नकद किया जा रहा है। उक्त व्यवस्था उचित नहीं है। अतः प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में सेवाप्रदाता (Out Sourcing) के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों/ श्रमिको जिसमे सफाई कर्मचारी भी सम्मिलित है, उनका राष्ट्रीयकृत बैंक में तत्काल खाता खुलवाकर उनके वेतन का भुगतान चेक माध्यम से किया जाय। इन सभी कर्मचारियों/श्रमिको का परिचय पत्र भी तत्काल जारी किया जाए ताकि बैक से भुगतान प्राप्त करने में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पडे।

3. उपरोक्त निर्देश निर्गत होने के उपरान्त भी यदि किसी निकाय से उक्त कर्मचारियो/श्रमिको के परिचय पत्र तत्काल न जारी किये जाने एवं चेक/बैक के माध्यम से वेतन भुगतान न किये जाने का तथ्य शासन के संज्ञान में आयेगा तो शासन द्वारा इसे गंभीरता से लिया जायेगा और संबंधित नागर निकायों/सेवाप्रदाता के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

4. कृपया अपने मण्ड़ल/जनपद में स्थित नागर निकायों में उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

सख्या– 4718 (1)/9–1–2012,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1–समस्त महापौर, नगर निगम,उ0प्र0 ।
2–समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,उ0प्र0 द्वारा जिलाधिकारी।
3–निदेशक, स्थानीय निधि लेखा,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
4–नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अनुभाग।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश बहादुर)
अनु सचिव